

छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान,
भागीदारी भवन, गोमती नगर, लखनऊ।

आई०ए०ए०/पी०सी०ए० प्रारम्भिक परीक्षा-2023 के कोचिंग सत्र
में प्रवेश हेतु काउंसलिंग सूचना।

संयुक्त प्रवेश परीक्षा दिनांक 18 दिसम्बर 2022 के परिणाम के आधार पर छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, भागीदारी भवन, लखनऊ के लिये अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी अपने समस्त मूल अभिलेख, कोचिंग हेतु किये गये ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति एवं हस्ताक्षरित प्रवेश पत्र के साथ निम्न काउंसलिंग कार्यक्रम के अनुसार पूर्वान्ह 11:00 भागीदारी भवन, गोमती नगर, लखनऊ में उपस्थित हो।

काउंसलिंग कार्यक्रम

क्रमांक	काउंसलिंग तिथि	समय
1	दिनांक 16, 17 एवं 18 जनवरी 2023	पूर्वान्ह 11:00 बजे से 3:00 बजे तक

काउंसलिंग कार्यक्रम के अनुसार मुख्य मेरिट सूची के छात्रों के दिनांक 23 जनवरी 2023 तक उपस्थित न होने की दशा में उनका चयन निरस्त समझा जायेगा। तदनुसार मुख्य मेरिट सूची से बचे रिक्त स्थानों पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को मेरिट के अनुसार प्रवेश हेतु बुलाया जायेगा, जिसके कोई पृथक से सूचना/पत्र संबंधित छात्र को नहीं भेजा जायेगा। इसकी सूचना वेबसाइट अथवा छात्रों के मोबाइल (नम्बर उपलब्ध होने की स्थिति में) पर उपलब्ध कराई जायेगी।

(1) काउंसलिंग हेतु आवश्यक अभिलेख (मूल रूप में)

- समस्त शैक्षिक अभिलेख— हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाणपत्र— अभ्यर्थी के माता-पिता/अभिभावक की अधिकतम वार्षिक आय रु0 6.00 लाख से अधिक न हो। इस हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र, जो तीन वर्ष से अधिक पुराना न हो (नवम्बर 2019 से पूर्व का न हो) (अन्य पिछ़ड़ा वर्ग के छात्रों को नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र अलग से प्रस्तुत करना होगा।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र।
- निवास प्रमाणपत्र।
- सरकारी चिकित्सक द्वारा विगत एक माह में जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।
- राजपत्रित अधिकारी अथवा अंतिम विद्यालय/शिक्षण संस्थान, जहां से शिक्षा प्राप्त की हो, के प्रधानाचार्य द्वारा जारी नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र।
- संयुक्त प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति।
- संयुक्त प्रवेश परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र (कक्ष निरीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित)।

४५
०६/०८/२०२३
(पद्मन कुमार यादव)
समाज कल्याण अधिकारी

(8) रविवार एवं अन्य अवकाश दिवस में छात्र संस्थान से अनुमति लेकर अपने स्थानीय अभिभावक के घर जा सकते हैं, परन्तु उन्हें अगले कार्य दिवस में कक्षाओं में समय से उपस्थित होना पड़ेगा, अन्यथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(9) अवकाश प्रार्थना पत्र स्वीकृत कराये बिना संस्थान से अवकाश पर जाने पर अथवा अवकाश अवधि समाप्त हो जाने पर संस्थान में उपस्थित न होने पर छात्र को बिना किसी नोटिस के संस्थान से निष्कासित कर दिया जायेगा।

(10) संस्थान में अध्यापन कार्य हेतु आने वाले अतिथि प्रवक्ताओं के प्रदर्शन व व्यवहार के संबंध में तथा संस्थान के अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में छात्रों से फीडबैक लिया जाता है, जिसे छात्रों को अनिवार्य रूप से भरना होगा।

(11) संस्थान में कोचिंग व्यवस्था अथवा अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में छात्रों को कोई समस्या होने पर वे संस्थान के जिला समाज कल्याण अधिकारी/उप निदेशक/संयुक्त निदेशक अथवा निदेशक से सीधे मिलकर अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं।

आई0ए0एस0 / पी0सी0एस0 प्रारम्भिक परीक्षा-2023 के कोचिंग सत्र में नव प्रवेशित छात्रों का संस्थान में स्वागत है। आप एक महान लक्ष्य को लेकर संस्थान में आये हैं। अतः उक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कठिन परिश्रम करें, समय व्यर्थ न गवायें। संस्थान द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं का लाभ उठाकर अपने स्वप्न को साकार करके देश, अपने माता-पिता तथा इस संस्थान को गौरवान्वित करें।

शुभकामनाओं सहित।

सम्पर्क सूत्र-

कार्यालय-0522-2724675

४५
०६/०१/२०२३
(पवन कुमार यादव)
जिला समाज कल्याण अधिकारी

छत्रपति शाहू जी महाराज शोध
एवं प्रशिक्षण संस्थान, भागीदारी भवन
विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ
(निकट ताज होटल, लखनऊ।)